रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062020-220052
CG-DL-E-20062020-220052

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942**
No. 213] **NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISHTHA 28, 1942**

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 10 जून, 2020

सं. टीएएमपी/14/2020-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 'स्ट्रेस्ड' पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी सेल दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुसरण में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्राइवेट लिमिटेड (वीजीसीबीपीएल) से संबंधित डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी के जनरल कार्गो बर्थ पर कोकिंग कोल और स्टीम कोयले के मशीनीकृत प्रहस्तन के लिए , अनुमोदित भंडारण अनुसूची से संबंधित इस प्राधिकरण के आदेश सं. टीएएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 के तहत अनुमोदित तर्कसंगत भंडारण शुल्क की वैधता में विस्तार के लिए अनुमोदित विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का, संलग्न आदेशानुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/*14*/20*20*-वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास - **आवेदक**

<u>कोरम</u>

(i) **श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)**

(ii) **श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)**

आदेश

(जून 2020 के प्रथम दिन पारित)

यह मामला, पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र क्रमांक पीडी-13/1/2018-पीपीपी सेल दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुसरण में डीबीओएफटी आधार पर वीपीटी की जनरल कार्गो बर्थ पर कोकिंग कोल और स्टीम कोयला के यंत्रीकृत प्रहस्तन के लिए विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्राइवेट लिमिटेड (वीजीसीबीपीएल) के नाम से दिनांक 11 जनवरी 2013 के आदेश सं. टीएएमपी/क्रमांक टीएएमपी/58/2008-वीपीटी द्वारा अनुमोदित अधिसूचित दरमान (एसओआर) की भंडारण अनुसूची में संशोधन करने वाले प्राधिकरण के आदेश सं.टीएएमपी/संख्या टीएएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 के तहत अनुमोदित तर्कसंगत भंडारण शुल्क की वैधता में, विस्तार के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त दिनांक 4/5 मार्च, 2020 के प्रस्ताव से संबंधित है

2.1. इस प्राधिकरण ने, स्ट्रेस्ड पीपीपी परियोजनाओं पर पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र सं. पीपीडी-13/1/2018-पीपीपी सेल दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुसरण में, अपने आदेश सं. टीएएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 के द्वारा वीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर और हितधारकों के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया के पश्चात पालन करने और संयुक्त सुनवाई के बाद, इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 के तहत, डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी की जनरल कार्गो बर्थ पर कोकिंग कोल और स्टीम कोयला के यंत्रीकृत प्रहस्तन के लिए विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्राइवेट लिमिटेड (वीजीसीबीपीएल) के नाम से अनुमोदित भंडारण अनुसूची में अधिसूचित दरमान (एसओआरआर) में संशोधन को अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

2.2. इस प्राधिकरण द्वारा यह आदेश 21 अगस्त 2019 को राजपत्र संख्या 296 के तहत अधिसूचित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित भंडारण शुल्क 21 जनवरी 2019 से एक वर्ष तक अर्थात 20 जनवरी 2020 तक वैध अनुमोदित किया गया था

2.3. दिनांक 24 जुलाई 2019 के उक्त आदेश के तहत, इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 के द्वारा वीजीसीबीपीएल के नाम से दरमान अधिसूचित करते हुए अनुमोदित दरमानों की अनुसूची संख्या 4 को निम्नलिखित अनुसूची और नोट्स के साथ प्रतिस्थाथापित कर दिया है।:

"

(रुपये प्रति टन प्रति दिन या उसका कोई अंश)

क्रम. सं.	**विवरण**	**लागू सूचकांकन के बाद वर्ष 2018-19 के लिए लागू भंडारण शुल्क**	**लागू सूचकांकन के बाद वर्ष 2019-20 के लिए लागू मौजूदा भंडारण शुल्क**	**21.1.2019 से 31.3.2019 तक संशोधित भंडारण शुल्क**	**1.4.2019 से 20.1.2020 तक संशोधित भंडारण शुल्क**
1.	भंडारण शुल्क (**0**-10 दिन)	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
2.	भंडारण शुल्क (11-15 दिन)	***2.06***	***2.11***	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
3.	भंडारण शुल्क (16-20 दिन)	***4.11***	***4.21***	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
4.	भंडारण शुल्क 21 वें दिन बाद	***8.22***	***8.43***	***8.22***	8.43

नोट:

(i) *20 निशुल्क दिनों की अनुमति दी जाएगी। पोत कार्गो का निपटान कार्य पूरा होने के दिन से नि: शुल्क अवधि शुरू होगी। खाली अवधि की गणना के उद्देश्य से, कस्टम अधिसूचित छुट्टियों और टर्मिनल के गैर-कार्य दिवसों को बाहर रखा जाएगा।*

(ii) *भंडारण शुल्क, कार्गो के भंडारण के लिए निर्धारित निशुल्क दिनों के पश्चात टर्मिनल के गैर-कार्य दिवसों और कस्टम अधिसूचित छुट्टियों सहित सभी दिनों के लिए प्रभार्य होगा ।*

(iii) *टर्मिनल आपरेटर के उत्तरदायित्व के कारण टर्मिनल आपरेटर के कार्गो के लदान/उतरायी की स्थिति में नहीं होने की अवधि के लिए, उपयोक्ताओं के अनुरोध पर कार्गो पर भंडारण शुल्क लागू नहीं होगा ।*

(iv) उपर्युक्त भंडारण अनुसूची 20 जनवरी 2020 तक वैध रहेगी और स्वत: ही इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी और 11 जनवरी 2013 के आदेश मे अनुमोदित मूल भंडारण अनुसूची, समुचित सूचकांकित दरों के साथ 21 जनवरी 2020 से प्रभावी हो जाएगी बशर्ते कि उसकी वीपीटी द्वारा समीक्षा और प्राधिकरण द्वारा उसका अनुमोदन न किया जाए "

3. उपर्युक्त भंडारण अनुसूची के नोट (iv) की पृष्ठभूमि में, वीपीटी ने संशोधित शुल्क की अवधि में 21 जनवरी 2020 से एक और वर्ष के लिए विस्तार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वीपीटी के 4/5 मार्च 2020 के प्रस्ताव के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

(i) वीपीटी पर मै. वीजीसीबीपीएल को प्रदान किए गए वीजीसीबी टर्मिनल के लिए भंडारण अनुसूची को पोत परिवहन मंत्रालय के मंत्रालय (एमओएस) के पत्र क्रमांक-पीडी -13/1/2018-पीपीपी सेल दिनांक 11 जुलाई 2018 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर प्राधिकरण दिनांक 24 जुलाई 2019 के आदेश के अंतर्गत संशोधित और अधिसूचित किया गया था। इसमें अधिसूचित भंडारण अनुसूची 21.01.2019 से 20.1.2020 तक एक (1) वर्ष की अवधि के लिए लागू है।

(ii) वीजीसीबीपीएल ने पोत परिवहन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार 11 अक्टूबर 2019 और 2 नवंबर 2019 के पत्रों के तहत वीजीसीबी के "स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट" के रूप में वर्गीकरण के लिए प्रासंगिक डेटा प्रस्तुत किया और वीजीसीबी सुविधा की स्थिति को "स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट" के रूप में आगे की एक (1) वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने का अनुरोध किया और किसी भी रुकावट के बिना तर्कसंगत भंडारण शुल्क और विस्तारित मुफ्त संग्रहण दिनों के लाभों को जारी रखने के लिए भी अनुरोध किया ।

(iii) पोत परिवहन मंत्रालय ने 11 जुलाई 2018 को लिखे गए अपने पत्र के पैरा 6 और 7 में महापत्तनों पर स्ट्रेस्ड परियोज**नाओं के संबंध में भंडारण शुल्क के तर्कसंगत प्रक्रिया को अपनाने का निर्देश दिया है और सृजित सुविधा के इष्टतम उपयोग के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है।**

[वीपीटी ने मै. वीजीसीबीपीएल के 11 अक्टूबर 2019 और 2 नवंबर 2019 के पत्र की दी गई प्रतियां प्रस्तुत की हैं । वीपीटी ने 2017-18 और 2018-19 के पिछले दो वर्षों के दौरान वीजीसीबीपीएल के प्रतिशत उपयोग को दर्शाने वाला पत्र भी संलग्न किया है और उक्त वर्षों के दौरान वीजीसीबीपीएल को होने वाले नकद नुकसान और निवल मूल्य को दर्शाने वाले पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की है।]

(iv) वीपीटी बोर्ड ने वीजीसीबीपीएल परियोजना के वर्गीकरण के लिए पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र दिनांक 11 जुलाई 2018 में निर्धारित तीन मानदंडों वाली परियोजना को 'स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट' माना है।

(क) वीजीसीबीपीएल में 18 नवंबर, 2019 से पहले के दो वित्तीय वर्षों के दौरान यानी 2018-19 और 2017-18 के दौरान कार्गो वॉल्यूम का प्रहस्तन किया गया और सुविधा का प्रतिशत उपयोग निम्नानुसार है:

वर्ष	कार्गो ढुलाई(मिलियन टन)	% उपयोग
2017-18	5.53	54%
2018-19	4.95	49%

इस परियोजना का डीपीआर/व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार उप-इष्टतम रूप से उपयोग किया गया है, जैसा कि बोली प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान ऑपरेटर द्वारा परियोजित 70% से कम ढुलाई के प्रहस्तन के तौर पर पाया गया है।

(ख) परियोजना को पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों यानी 2017-18 और 2018-19 से लगातार नकद हानि हो रही है। वीजीसीपीएल द्वारा कार्यशील चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाणपत्र 30 अक्टूबर 2019 के प्रमाण पत्र के साथ यथाप्रस्तुत वहित नकद हानि और रियायतकर्ता द्वारा संचालन अवधि के दौरान इसके अधिकतम नेटवर्क के निर्धारित मानदंड के न्यूनतम 50% हानि पर वीपीटी बोर्ड द्वारा विचार किया गया जिसे नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19 (करोड़ रुपये)	वित्तीय वर्ष 2017-18 (करोड़ रुपये)
1.	वीजीसीबीपीएल द्वारा किया गया नकद घाटा	(2.29)	(26.97)
2.	वीजीसीबीपीएल का निवल मूल्य	(11.47)	21.70

(v). वीपीटी ने वीपीटी के न्यासी बोर्ड की 30 दिसंबर 2019 को आयोजित बैठक में वीजीसीबीपीएल के अनुरोध को रखा है और बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

(i) उक्त परियोजना के वर्गीकरण के लिए मै. वीजीसीबीपीएल के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए "स्ट्रेस्ड परियोजना" और मंत्रालय के आदेश सं. टीएएमपी/दिनांक 11.07.2018 के निर्देशों के अनुपालन में परियोजना को स्ट्रेस्ड परियोजना के रूप में माना जाए।

(ii) टीएएमपी के दिशानिर्देश / अधिसूचनाओं के अनुसार एआरआर को प्राप्त करने के लिए "संशोधन, आशोधन या विकल्प" को शामिल करते हुए रियायत समझौते के अनुच्छेद 21.9 में उपलब्ध प्रावधानों के तहत रियायतकर्ता मै. वीजीसीबीपीएल के परामर्श से भंडारण शुल्क तर्कसंगत बनाने के लिए एक उचित प्रस्ताव प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाए ।

(iii) 20.01.2020 के बाद भंडारण शुल्क के तर्कसंगत होने के लाभों के विस्तार के लिए यथोचित रूप से वीपीटी के माध्यम से एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए रियायतकर्ता को सूचित करना। और

(iv) 20.01.2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रस्ताव पर विचार करना और उसके बाद समीक्षा करना

(vi) मै. वीजीसीबीपीएल ने 3 फरवरी 2020 के अपने पत्र के तहत संशोधित भंडारण शुल्क की वैधता में विस्तार के लिए वीपीटी को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:

क्रम सं.	विवरण	यूनिट	मौजूदा दरमान (तर्कसंगत बनाए बिना)	प्रस्तावित दरमान
1.	भंडारण शुल्क 0-10 दिन	रुपये/ एमटी प्रति दिन	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
2.	भंडारण शुल्क 11-15 दिन	रुपये/ एमटी प्रति दिन	2.11	कोई शुल्क नहीं
3.	भंडारण 16-20 दिनों का है	रुपये/ एमटी प्रति दिन	4.22	कोई शुल्क नहीं
4.	भंडारण शुल्क 21 वें दिन के बाद	रुपये/ एमटी प्रति दिन	8.43	8.43

(vii) इसके अलावा, वीजीसीबीपीएल ने वीपीटी को दूसरे वर्ष के लिए तर्कसंगत भंडारण शुल्क जारी रखने के लिए औचित्य बताया है, साथ ही कहा कि परियोजना ने पिछले 7 वर्षों से कोई लाभ नहीं कमाया है और संपूर्ण ऋण अभी भी बकाया है। भंडारण प्रभार को तर्क संगत बनाने के लिए स्वीकृति मिलने के बाद भी, परियोजना का प्रदर्शन संतोषजनक स्तर तक नहीं था, जिसका वर्णन इस प्रकार है:

(क) पिछले साल इष्टतम क्षमता 10.18 एमएमटी के मुकाबले डिस्चार्ज की मात्रा 4.96 एमएमटी है।

(ख) वीजीसीबीपीएल ने पिछले साल रू.33.17 करोड़ का शुद्ध नुकसान किया था। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरण की एक प्रति पहले ही वीपीटी को प्रस्तुत की जा चुकी है।

(ग) परियोजना की स्थापना के बाद पिछले साल से लगातार घाटे के कारण सारी कार्रवाई पूरी तरह से नकारात्मक हो गई है।

इसलिए, उपरोक्त स्थितियों के मद्देनजर, वीजीसीबीपीएल ने वीजीसीबीपीएल परियोजना के हित में द्वितीय वर्ष के लिए तर्कसंगत भंडारण शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है जो वीपीटी निधि के लिए एक प्रमुख योगदान कारक है।

(viii) वीपीटी ने उल्लेख किया है कि वीजीसीबीपीएल का प्रस्ताव पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र द्वारा संरचित समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, जो कि स्ट्रेस्ड पीपीपी परियोजनाओं पर पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 11 जुलाई 2018 के पत्र द्वारा सूचित की गईं थीं।

(ix) इसलिए, वीपीटी ने वीजीसीबी सुविधा की क्षमता के उपयोग में सुधार के लिए भंडारण शुल्क को तर्कसंगत बनाने के लिए मै. वीजीसीबीपीएल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है। वीपीटी ने 21.1.2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए यानि 20.1.2021 तक प्रभावी होने के लिए वीजीसीबी सुविधा के लिए संशोधित भंडारण अनुसूची को अनुमोदित और अधिसूचित करने का भी अनुरोध किया है।

(x) वीपीटी ने अनुमोदन और अधिसूचना में सूचकांकन घटक को शामिल करने का अनुरोध किया है।

4. वीपीटी ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित तीन मानदंडों के संबंध में प्रत्येक की एक प्रति प्रस्तुत की है, जो पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2018 के पत्र में निर्धारित हैं:

(i) वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए वीजीसीबीपीएल द्वारा प्रहस्तित कार्गो की मात्रा दर्शाते हुए वीपीटी के 18 नवंबर 2019 के पत्र की प्रतिलिपि।

(ii) वीजीसीबीपीएल द्वारा समथित कार्यशील चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र की एक प्रति, जो दो वित्तीय वर्षों यानी 2017-18 और 2018-19 से पहले की नकदी हानि और कम से कम 50% की शुद्ध कमाई का प्रमाण है।

(iii) वीपीटी के न्यासी बोर्ड के दिनांक 30 दिसंबर 2019 के अनुमोदन की एक प्रति ।

5. पोत परिवहन मंत्रालय के 11 जुलाई 2018 के पत्र के पैरा 6 और 7 नीचे दिए गए हैं:

"6. एएसए और एफए, पोत परिवहन मंत्रालय की अध्यक्षता वाली समिति का विचार है कि ऊपर के पैरा 3 में परिभाषित स्ट्रेस्ड परियोजनाओं में जहां कहीं भी असामान्य भंडारण शुल्क का मुद्दा उभरता है, पोर्ट "संशोधन, आशोधन या बदलावों" और रियायत समझौते के नियम और शर्तों के प्रावधानों के तहत रियायतकारों के साथ परामर्श से भंडारण शुल्क के तर्कसंगत बनाने के लिए एक उचित प्रस्ताव के साथ प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं ताकि टीएएमपी के अधिसूचित दिशानिर्देशों- के अनुसार एआरआर प्राप्त किया जा सके। प्राधिकरण को ऐसे प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करना होगा। समिति ने रियायतकार प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर सृजित सुविधा के इष्टतम उपयोग के लिए स्थिति की समीक्षा की भी सिफारिश की।

7. इसलिए, महापत्तनों को पूर्वोक्त प्रक्रिया को समय-समय पर निर्मित सुविधा के इष्टतम उपयोग के लिए स्थिति की समीक्षा सहित अपनाने के निर्देश दिए जाते हैं, है।"

6. वीपीटी का वर्तमान प्रस्ताव इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 के तहत अनुमोदित तर्कसंगत (यानी कम) भंडारण शुल्क की वैधता में विस्तार के लिए है। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, इस प्राधिकरण द्वारा कथित आदेश में तर्कसंगत भंडारण शुल्क अनुमोदित किया गया था। प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त यह अनुमोदन वीपीटी के 7 दिसंबर 2018 के मूल प्रस्ताव पर जिसमें भंडारण शुल्क में संशोधन की मांग की गई थी पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुसरण में 17 जून 2019 को निर्धारित परामर्श प्रक्रिया और आयोजित संयुक्त सुनवाई के बाद दिया गया था। । चूंकि वीपीटी का वर्तमान प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित भंडारण दर के केवल एक वर्ष तक विस्तार के लिए है और उसी को वीपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है और यह भी मानते हुए कि वीपीटी का प्रस्ताव वीजीसीबीपीएल के प्रस्ताव पर आधारित है जिसमें यह उल्लेखित है कि यह एक स्ट्रेस्ड परियोजना है एक स्ट्रेस्ड परियोजना के तौर पर पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी तीन मानदंडों को पूरा करती है और इसीलिए एक और वर्ष के लिए संशोधित भंडारण शुल्क के विस्तार की मांग की गई है । इस प्रस्ताव को फिर से परामर्श के लिए नहीं लिया गया था

7. मामले के प्रसंस्करण के दौरान एकत्र की गई जानकारी की समग्रता के संदर्भ में, निम्न स्थिति उभरती है:

(i) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) का प्रस्ताव इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं.टीएएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई के तहत अनुमोदित भंडारण शुल्क की वैधता में विस्तार के लिए इस प्राधिकरण के अनुमोदन की मांग करता है जो पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र सं.पीडी-13/1/2018-

पीपीपी सेल दिनांक 11 जुलाई 2018 के अनुसरण में वीपीटी पर कोकिंग कोल और स्टीम कोयला के यंत्रीकृत प्रहस्तन के लिए जनरल कार्गो बर्थ पर डीबीओएफटी आधार पर प्राधिकरण के आदेश आदेश सं.टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 के तहत विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्राइवेट के नाम से अधिसूचित दरमान (एसओआर) से संबंधित है।

(ii) महापत्तन न्यासों द्वारा स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट के तौर पर स्ट्रेस्ड पीपीपी परियोजना के संबंध में, एमओएस ने 11 जुलाई 2018 को लिखे अपने पत्र में, पीपीपी परियोजना के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित तीन मानदंड निर्धारित किए हैं:

(क) इस परियोजना का उप-इष्टतम रूप से उपयोग किया गया है, जो ऑपरेटर द्वारा बोली प्रक्रिया के भाग के रूप में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान डीपीआर/व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार तय से 70% कम प्रहस्तित वास्तविक कार्गो है। और

(ख) परियोजना एसपीवी के पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में लगातार नकद हानि और

(ग) रियायतकर्ता द्वारा हुए नुकसान के कारण ऑपरेशन अवधि के दौरान अपने चरम नेट वर्थ का 50% क्षरण हुआ है।

पोत परिवहन मंत्रालय के 11 जुलाई 2018 के उक्त पत्र के पैरा 7 में महापत्तनों को निर्मित सुविधा के इष्टतम उपयोग के लिए निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने और समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

(iii) क्षमता से 70% कम उपयोग वीपीटी के पत्र से समर्थित है और वीजीसीबीपीएल से 2017-18 और 2018-19 के दो साल के लिए नकद हानि और कम से कम 50% की कुल संपत्ति के क्षरण कार्यशील चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र से समर्थित है और वीपीटी के न्यासी बोर्ड द्वारा मान्य है। यह विश्वस्नीय माना जाता है ।

वीपीटी के न्यासी बोर्ड ने इस प्राधिकरण के 24 जुलाई 2019 के आदेश में तर्कसंगत भंडारण शुल्क की वैधता में 20 जुलाई 2020 के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तार को अनुमोदन प्रदान किया है।

(iv) दायर प्रस्ताव वीपीटी द्वारा वीपीटी के न्यासी बोर्ड की मंजूरी पर आधारित है और स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट पर एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र में दिए गए तीन मानदंडों को पूरा करता है । यह प्रस्ताव इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 अनुमोदित संशोधित भंडारण शुल्क के विस्तार के लिए जारी किया गया है, और दोनों पक्षों अर्थात वीपीटी और वीजीसीबीपीएल द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकार किया गया है । यह मानते हुए कि यह भंडारण शुल्क को तर्कसंगत करके परियोजना सुविधाओं का इष्टतम उपयोग किया जा सके इस उद्देश्य से यह प्राधिकरण, इस प्राधिकरण के 24 जुलाई 2019 के आदेश में संशोधित भंडारण शुल्क की वैधता में एक वर्ष की अवधि अर्थात 21 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2021 तक के विस्तार के लिए पत्तन के वर्तमान प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करने का इच्छुक है ।

(v) 24 जुलाई 2019 के आदेश में संशोधित भंडारण प्रभार की अनुसूची के तहत चार सशर्तियां निर्धारित की गईं हैं। इन सशर्तियों को इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित विस्तार आदेश में नोट सं. **(iv)** में अपेक्षित आशोधन को छोड़कर निर्धारित किया गया है ।

24 जुलाई 2019 के आदेश के नोट सं. (iv) में कहा गया है कि भंडारण अनुसूची 20 जनवरी 2020 तक मान्य होगी और यह स्वचालित रूप से अमान्य हो जाएगी और 11 जनवरी 2013 के आदेश में अनुमोदित मूल भंडारण अनुसूची में उचित सूचकांकन के पश्चात 21 जनवरी 2020 से लागू होगी जब तक कि वीपीटी द्वारा समीक्षा और इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती है ।

वीपीटी के न्यासी बोर्ड ने इस प्राधिकरण ने अनुमोदित तर्कसंगत भंडारण शुल्क की वैधता में विस्तार के लिए 24 जुलाई 2019 को 20 जनवरी 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए यानि 21 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2021 तक अनुमोदन को मंजूरी दे दी है जिसकी उसके बाद समीक्षा की जाएगी।ऐसा होने के कारण, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तर्कसंगत भंडारण शुल्क की अनुसूची की वैधता को आगे एक वर्ष की अवधि के लिए 21 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2021 तक बढ़ाया जाता है। इसलिए, नोट सं। (iv) को संशोधित किया गया है कि निधारित भंडारण अनुसूची 21 जनवरी 2020 से प्रभावी और 20 जनवरी 2021 तक मान्य होगी।

(vi) यहां यह बताना प्रासंगिक है कि 24 जुलाई 2019 के आदेश में निर्धारित तर्कसंगत भंडारण प्रभारपर वर्ष 2019-20 के लिए लागू किए गए सूचकांकन किया जाएगा । 2008 के दिशानिर्देशों के तहत अभिशासित बीओटी संचालक इस प्राधिकरण द्वारा घोषित डब्ल्यूपीआई के 60% वार्षिक अनुक्रमण के हकदार हैं। वीजीसीबीपीएल 2008 के अपफ्रंट टैरिफ दिशानिर्देशों के तहत अभिशासित है और इसलिए, वर्ष 2020-21 के लिए इस प्राधिकरण द्वारा वर्ष 24 जुलाई 2019 के आदेश में अनुमोदित तर्कसंगत संशोधित भंडारण शुल्क पर वार्षिक सूचकांक के लिए हकदार है। वीपीटी ने भी अधिसूचना में सूचकांकन कारक को शामिल करने का भी अनुरोध किया है। अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के तहत डब्ल्यूपीआई के 60% की दर से वर्ष 2020-21 के लिए इस प्राधिकरण द्वारा घोषित सूचकांकन कारक 1.13% है। इसलिए, इस मामले में इंडेक्सेशन फैक्टर लागू करने वाला इंडेक्स रेट 1.13% 1 अप्रैल 2020 से 20 जनवरी 2021 तक लागू रहेगा। तदनुसार, पिछली स्लैब के लिए रू. 8.53 (यानी 8.43 x 1.0113) पर अनुक्रमित भंडारण प्रभार के साथ **1** अप्रैल 2020 से 20 जनवरी 2021 तक अनुक्रमित भंडारण शुल्क निर्धारित करते हुए पूर्ववर्ती अनुमोदित अनुसूची में एक अतिरिक्त कॉलम डाला गया है।

(vii) जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, वीपीटी के बोर्ड ने 20 जनवरी 2020 के बाद एक वर्ष के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और उसके बाद समीक्षा का अनुमोदन कर दिया है। इस प्रकार, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित तर्कसंगत भंडारण अनुसूची की वैधता 21 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

8.1. परिणामत:, और ऊपर दिए गए कारणों और समग्र सोच विचार के आधार पर, यह प्राधिकरण, इस प्राधिकरण द्वारा वीजीसीबीपीएल द्वारा संचालित टर्मिनल के लिए आदेश सं. टीएएमपी/ 9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 के तहत अनुमोदित तर्कसंगत भंडारण शुल्क की वैधता में 20 जनवरी 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए और तदनुसार विस्तार के लिए वीपीटी के प्रस्ताव को मंजूरी देता है और तदनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी, 2013 अनुमोदित अधिसूचित दरमान की अनुसूची के क्रम सं. 4 के तहत वीजीसीबीपीएल के नाम पर दरमान को 20 जनवरी 2010 तक की अवधि की वैधता के लिए नीचे दिए गए अनुसार संशोधन किया गया है:

(रुपये प्रति दिन प्रति टन या उसका कोई अंश)

क्रम सं.	**विवरण**	**आदेश सं. टीएएमपी /58/2008-वीपीटी दिनांक 11 जनवरी 2013 के अनुसार सूचकांकन घटक लागू करने के पश्चात भंडारण शुल्क**			**आदेश सं. टीएएमपी /9/2019-वीपीटी दिनांक 24 जुलाई 2019 के द्वारा 21.1.2019 से 20.1.2020 तक की अवधि के लिए अनुमोदित संशोधित सूचकांकित भंडारण शुल्क**		**वर्तमान विस्तार आदेश में 21.1.2020 से 20.1.2021 तक की अवधि के लिए संशोधित सूचकांकित भंडारण शुल्क**	
		वर्ष 2018-19 के लिए लागू भंडारण शुल्क	वर्ष 2019-20 के लिए लागू भंडारण	वर्ष 2020-21 के लिए लागू भंडारण	21.1.2019 से 31.3.2019 तक भंडारण	1.4.2019 से 20.1.2020 तक	21.1.2020 से 31.3.2020 तक	01.4.2020 से 20.1.2021 तक

			शुल्क	शुल्क	शुल्क	भंडारण शुल्क	संशोधित सूचकांकित भंडारण शुल्क	संशोधित सूचकांकित भंडारण शुल्क
1.	भंडारण शुल्क (0-10 दिन)	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
2.	भंडारण शुल्क (11-15 दिन)	2.06	2.11	2.13	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
3.	भंडारण शुल्क (16-20 दिन)	4.11	4.21	4.26	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
4.	भंडारण शुल्क 21वें दिन से आगे	8.22	8.43	8.53	8.22	8.43	8.43	8.53

नोट:

(i) *20 निशुल्क दिनों की अनुमति दी जाएगी। पोत कार्गो का निपटान कार्य पूरा होने के दिन से नि: शुल्क अवधि शुरू होगी। खाली अवधि की गणना के उद्देश्य से, कस्टम अधिसूचित छुट्टियों और टर्मिनल के गैर-कार्य दिवसों को बाहर रखा जाएगा।*

(ii) *भंडारण शुल्क, कार्गो के भंडारण के लिए निर्धारित निशुल्क दिनों के पश्चात टर्मिनल के गैर-कार्य दिवसों और कस्टम अधिसूचित छुट्टियों सहित सभी दिनों के लिए प्रभार्य होगा*

(iii) *टर्मिनल आपरेटर के उत्तरदायित्व के कारण टर्मिनल आपरेटर के कार्गो के लदान/उतरायी की स्थिति में नहीं होने की अवधि के लिए, उपयोक्ताओं के अनुरोध पर कार्गो पर भंडारण शुल्क लागू नहीं होगा ।*

(iv) उपरोक्त भंडारण अनुसूची 21 जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2021 तक मान्य होगी।

8.2. वीजीसीबीपीएल को वीपीटी के माध्यम से प्रत्येक तिमाही के अंत में 15 दिन में प्रहस्तित त्रैमासिक वास्तविक निष्पादन (कार्गो-वार) मात्रा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष समाप्ति से 2 महीने के भीतर वार्षिक रुप से वास्तविक और वित्तीय निष्पादन सहित इस प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देश दिए जाते हैं ।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन–III/4/असा./66/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th June, 2020

No. TAMP/14/2020-VPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in pursuance of Ministry of Shipping letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 on Stressed PPP Projects, the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for extension of validity of rationalised storage charge approved by this Authority vide Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019 relating to the Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VGCBPL) for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/14/2020-VPT

Visakhapatnam Port Trust - - - - - **Applicant**

QUORUM

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 1st day of June 2020)

This case relates to the proposal dated 4/5 March 2020 received from Visakhapatnam Port Trust (VPT) for extension of rationalised storage charge approved by this Authority vide Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019 amending the Storage schedule approved in the Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying the Scale of Rates (SOR) in the name of Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VGCBPL) for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis in pursuance of MOS letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018.

2.1. In pursuance of Ministry of Shipping letter No. PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 on Stressed PPP Projects, this Authority vide its Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019 has, based on the proposal of VPT and after following due consultation process with stakeholders and after holding joint hearing, approved the amendment in the Storage schedule approved by this Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying Scale of Rates (SOR) in the name of Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VGCBPL) for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis.

2.2. The Order was notified by this Authority vide Gazette No.296 dated 21 August 2019. The amended storage charge was approved by this Authority for a period of one year from 21 January 2019 to 20 January 2020.

2.3. Vide the said Order dated 24 July 2019, this Authority replaced the Schedule 4 of the SOR approved by this Authority in the Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying the SOR in the name of the VGCBPL with the following schedule and notes:

"

(in ₹ per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	***Particulars***	***Storage Charges applicable for the year 2018-19 after applicable indexation***	***Existing Storage Charges applicable for the year 2019-20 after applicable indexation***	***Amended Storage Charges from 21.1.2019 till 31.3.2019***	***Amended Storage Charges from 1.4.2019 till 20.1.2020***
1.	*Storage Charges (0-10 days)*	***No Charges***	***No Charges***	***No Charges***	***No Charges***
2.	*Storage Charges (11-15 days)*	***2.06***	***2.11***	***No Charges***	***No Charges***
3.	*Storage Charges (16-20 days)*	***4.11***	***4.21***	***No Charges***	***No Charges***
4.	*Storage Charges 21st Day onwards*	***8.22***	***8.43***	***8.22***	***8.43***

Notes:

(i) 20 free days shall be allowed. Free period shall commence from the day following the day of complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.

(ii) Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non-working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.

(iii) Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver/ ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the Terminal operator.

(iv) The above storage schedule shall be valid till 20 January 2020 and it shall automatically lapse and the original storage schedule as approved in the Order dated 11 January 2013 with appropriate indexation rates shall come into effect from 21 January 2020, unless reviewed by VPT and approved by this Authority."

3. In the backdrop of Note (iv) of the above storage schedule, the VPT has come up with a proposal seeking extension of the validity of the amended storage charge for another one year from 21 January 2020. The main points made by VPT in its proposal dated 4/5 March 2020 are given below:

(i) Storage schedule for VGCB terminal awarded to M/s.VGCBPL at VPT was revised and notified by the Authority vide Order dated 24 July 2019 based on the guidelines of Ministry of Shipping (MOS) issued vide letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018. The revised storage schedule notified therein is applicable for a period of one (1) year from 21.01.2019 to 20.1.2020.

(ii) The VGCBPL vide its letters dated 11 October 2019 and 2 November 2019 has submitted relevant data for categorization of VGCB as "Stressed Project" as per guidelines of MOS and requested to continue the status of VGCB facility as "Stressed Project" for a further period of one (1) year and also requested to continue extending the benefits of rationalised storage charges and extended free storage days, without any discontinuity.

(iii) MOS vide para 6 and 7 of its letter dated 11 July 2018 has directed the Major ports to adopt the procedure for rationalisation of storage charges in respect of stressed projects and has also directed to review the situation periodically for optimal utilization of the facility created.

[VPT has furnished copy of the letters dated 11 October 2019 and 2 November 2019 submitted by M/s.VGCBPL. The VPT has also furnished a copy of the letter showing the percentage utilization of VGCBPL during the previous two years i.e. 2018-19 and 2017-18 and a copy of the letter showing the cash losses incurred and net worth of VGCBPL during the said years.]

(iv) The VPT Board has considered the following three criteria as prescribed in MOS letter dated 11 July 2018 for classification of the VGCBPL project as a 'Stressed Project':

(a) The cargo volumes handled at VGCBPL as per VPT letter dated 18 November 2019 during the preceding two financial years i.e. 2018-19 and 2017-18 and percentage utilization of the facility as detailed below:

Year	Cargo throuput (Million tonnes)	% utilisation
2017-18	**5.53**	**54%**
2018-19	**4.95**	**49%**

The project is sub-optimally utilized as evidenced by the actual cargo handled by the operator during two preceding financial years being less than 70% of the projection as per DPR/Feasibility report forming part of the bid document.

(b) Project is incurring cash loss continuously for two preceding financial years i.e. 2017-18 and 2018-19. Cash losses incurred by the Concessionaire and the prescribed criteria of at least 50% erosion of its peak net worth during the operation period as furnished by VGCBPL along with a Certificate dated 30 October 2019 from practicing Chartered Accountant considered by the VPT Board is tabulated below:

Sl. No.	Particulars	FY 2018-19 (₹ in crores)	FY 2017-18 (₹ in crores)
1.	**Cash losses incurred by VGCBPL**	**(2.29)**	**(26.97)**
2.	**Net worth of VGCBPL**	**(11.47)**	**21.70**

(v) The VPT has placed the request of VGCBPL in the Board of Trustees meeting of VPT held on 30 December 2019 and the Board has resolved the following:

(i) To consider the proposal of M/s.VGCBPL for classification of the said project as "Stressed project" and to treat the project as stressed project in compliance to the directions of Ministry's order dated 11.07.2018.

(ii) To approach TAMP under the provisions available at Article 21.9 of the Concession Agreement covering "Amendments, Modifications or Alternations" with an appropriate proposal for rationalisation of storage charges in consultation with the Concessionaire M/s.VGCBPL so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines/ notifications.

(iii) To inform the Concessionaire to submit a detailed proposal to TAMP through VPT duly justifying the reasonableness for extension of the benefits of rationalisation of storage charges beyond 20.01.2020 and

(iv) To consider the proposal for a period of one year from 20.01.2020 and to review thereafter.

(vi) M/s.VGCBPL vide its letter dated 3 February 2020 has submitted the proposal to VPT for extension of validity of the amended storage charge as follows:

Sl. No.	Particulars	Units	Current Scale of Rates (without rationalisation)	Proposed Scale of Rates
1.	Storage charges 0-10 days	₹ / MT per day	No charge	No charge
2.	Storage charges 11-15 days	₹ / MT per day	2.11	No charge
3.	Storage charges 16-20 days	₹ / MT per day	4.22	No charge
4.	Storage charges 21st day onwards	₹ / MT per day	8.43	8.43

(vii) Further, the VGCBPL has justified to the VPT for continuation of rationalised storage charge for the second year as well stating that the project has not made any profits for the past 7 years and the entire loan is still outstanding. Even after getting the approval for rationalisation of storage charge, the project performance was not upto satisfactory level which has been detailed as follows:

(a) Last year discharge volume is 4.96 MMT against optimal capacity approved at 10.18 MMT.

(b) VGCBPL had made a net loss of `33.17 crores last year. A copy of financials for FY 2018-19 has already been submitted to VPT.

(c) Entire networth has gone into negative last year due to continuous losses since inception of the project.

Hence, in view of the above situations, VGCBPL has requested to continue the rationalised storage charge for the second year as well in the interest of VGCBPL project which is a major contributor for VPT Ex-chequer.

(viii) The VPT has stated that the VGCBPL proposal is in line with the recommendations of the Committee constituted by the MOS communicated vide MOS letter dated 11 July 2018 on stressed PPP projects.

(ix) The VPT has, therefore, requested to consider the proposal submitted by M/s.VGCBPL for rationalisation of storage charges to improve the capacity utilization of VGCB facility. VPT has also requested to approve and notify the revised storage schedule for the VGCB facility at the earliest to take effect from 21.1.2020 for a period of one year i.e. upto 20.1.2021.

(x) The VPT has requested to include the indexation factor in the approval and notification.

4. The VPT has furnished a copy each of the following in support of its proposal as regards the three criteria prescribed by MOS in its letter dated 11 July 2018:

(i) Copy of VPT letter dated 18 November 2019 showing cargo volumes handled by VGCBPL for the years 2017-18 and 2018-19.

(ii) A copy of Certificate of practicing Chartered Accountant furnished by VGCBPL as regards cash losses for preceding two financial years i.e. 2017-18 and 2018-19 and erosion of net worth by at least 50%.

(iii) A copy of approval of Board of Trustees of VPT dated 30 December 2019.

5. Para 6 & 7 of MOS letter dated 11 July 2018 are reproduced below:

"6. The Committee headed by AS&FA, MoS is of the view that wherever such issue of abnormal storage charges emerges in stressed projects as defined in Para 3 above, the Ports may approach TAMP under the provisions of "Amendments, modifications or alternations" to the terms and conditions of the concession agreement with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with concessionaries so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines notification. TAMP has to consider such proposals on merit. The Committee also recommended review of the situation by the Concessioning Authority periodically for optimum utilization of the facility created.

7. The Major ports are, therefore, directed to adopt the aforesaid procedure including review of the situation periodically for optimum utilization of the facility created."

6. The current proposal of VPT is for extension of validity of rationalised (i.e. reduced) storage charge approved by this Authority vide Order No. TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019. As stated earlier, rationalised storage charge was approved by this Authority in the said Order. The approval accorded by this Authority was after following prescribed consultation process and joint hearing held on 17 June 2019 on the original proposal of VPT dated 7 December 2018 seeking amendment in storage charge in pursuance of MOS letter dated 11 July 2018. Since the current proposal of VPT is only for extension of the amended storage rate approved by this Authority for another one year and the same has been approved by the Board of Trustees of VPT and also recognizing that proposal of the VPT is based on the proposal of VGCBPL which has stated that project continues to be stressed and meets all the three prescribed criteria prescribed by the MOS for stressed project and hence sought for extension of amended storage charge for another one year, this proposal was not again taken up for consultation.

7. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

(i) The proposal of the Visakhapatnam Port Trust (VPT) seeks approval of this Authority for extension of the validity of the rationalised storage charge approved by this Authority vide Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019 relating to the amendment in the Storage schedule approved by this Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying Scale of Rates (SOR) in the name of Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VGCBPL) for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis in pursuance of MOS letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018.

(ii) As regards the stressed PPP project, the MOS, in its letter dated 11 July 2018, has prescribed the following three criteria for classification of PPP project as Stressed Projects by Major Port Trusts:

(a) The project is sub optimally utilised as evidenced by the actual cargo handled by the operator during two preceding financial years being less than 70% of the projection as per DPR/Feasibility report forming part of the bid document and

(b) Project SPV incurring cash loss continuously for two preceding financial years and

(c) That the losses incurred by concessionaire has caused atleast 50% erosion of its peak Net Worth during the operation period.

Para 7 of the said MOS letter dated 11 July 2018 directs the Major ports to adopt the prescribed procedure and review the situation periodically for optimum utilisation of the facility created.

(iii) The underutilisation of capacity below 70% is supported by the VPT letter and the cash loss for preceding two years 2017-18 and 2018-19 and erosion of net worth of at least 50% is supported by the Certificate from practicing Chartered Accountant furnished by VGCBPL and considered by the Board of Trustees of the VPT. The same is relied upon.

The Board of Trustees of VPT has approved extension of validity of rationalised storage charge as approved by this Authority vide Order dated 24 July 2019 beyond 20 January 2020 for a period of one year.

(iv) The proposal filed by the VPT is based on the approval of the Board of Trustees of the VPT. It fulfills the three criteria prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018 on the Stressed Project and the proposal is for extension of validity of rationalised storage charges approved by this Authority vide Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019, and is mutually accepted by both the parties i.e. VPT and VGCBPL. Recognizing that it is intended to utilize the project facilities optimally by rationalising storage charges, this Authority is inclined to approve the current proposal of the port for extension of the validity of rationalised storage charge approved by this Authority in the Order dated 24 July 2019 for a further period of one year i.e. from 21 January 2020 to 20 January 2021.

(v) The Order dated 24 July 2019 prescribed four conditionalities under the schedule of amended storage charge. The same conditionalities are continued to be prescribed in this Order except modification required to be done in note no.(iv).

The note no.(iv) approved in the Order dated 24 July 2019 states that storage schedule shall be valid till 20 January 2020 and it shall automatically lapse and the original storage schedule as approved in the Order dated 11 January 2013 with appropriate indexation rates shall come into effect from 21 January 2020, unless reviewed by VPT and approved by this Authority.

The Board of Trustees of VPT has accorded approval for extension of validity of the rationalised storage charge approved by this Authority vide Order dated 24 July 2019 for a period of one year beyond 20 January 2020 i.e. from 21 January 2020 till 20 January 2021 and to be reviewed thereafter. That being so, validity of rationalised storage schedule approved by this Authority is extended for a further period of one year from 21 January 2020 till 20 January 2021. Hence, the note no.(iv) is modified to state that storage schedule prescribed shall come into effect from 21 January 2020 and shall be valid till 20 January 2021.

(vi) It is relevant here to state that the rationalised storage charge prescribed in the Order dated 24 July 2019 captures the indexation factor applicable for the year 2019-20. The BOT operators governed under the 2008 guidelines are entitled for annual indexation @ 60% of the WPI announced by this Authority. The VGCBPL is governed under the upfront tariff guidelines of 2008 and hence is entitled for annual indexation for the year 2020-21 announced by this Authority on the rationalised storage charge approved in the Order dated 24 July 2019. The VPT has also requested to include the indexation factor in the notification. The indexation factor announced by this Authority for the year 2020-21 under the upfront tariff under 2008 guidelines @ 60% of the WPI is 1.13%. Therefore, the indexed rate applying 1.13% indexation factor shall be applicable from 1 April 2020 till 20 January 2021 in this case. Accordingly, an additional column is inserted in the schedule earlier approved prescribing the indexed storage charge from 1 April 2020 till 20 January 2021 with the indexed storage charge at `8.53 (i.e. 8.43 x 1.0113) for the last slab.

(vii) As brought out in the preceding paragraph, the Board of VPT has accorded approval to the proposal for one year beyond 20 January 2020 and review thereafter. That being so, validity of the rationalised storage schedule approved by this Authority shall be for the period of one year from 21 January 2020 till 20 January 2021.

8.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the proposal of VPT for extension of the validity of the rationalised storage charge approved by this Authority vide Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019 for terminal operated by VGCBPL for a further period one year w.e.f. 20 January 2020 and accordingly rates applicable under the Schedule 4 in the Order approved by this Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying the SOR in the name of the VGCBPL are amended as given below for the validity period upto 20 January 2021:

(in ₹ per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	**Particulars**	**Storage Charges applicable after applying indexation factor as per Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013**			**Amended indexed Storage Charge approved vide Order No.TAMP/9/2019-VPT dated 24 July 2019 for the period 21.1.2019 till 20.1.2020**		**Amended indexed Storage Charge for the period 21.1.2020 till 20.1.2021 in the current extension Order**	
		Storage Charge applicable for the year 2018-19	**Storage Charge applicable for the year 2019-20**	**Storage Charge applicable for the year 2020-21**	**Storage Charge from 21.1.2019 till 31.3.2019**	**Storage Charge from 1.4.2019 till 20.1.2020**	**Amended indexed Storage Charge from 21.1.2020 till 31.3.2020**	**Amended Indexed Storage Charge from 01.4.2020 till 20.1.2021**
1.	Storage Charges (0-10 days)	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges
2.	Storage Charges (11-15 days)	2.06	2.11	2.13	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges
3.	Storage Charges (16-20 days)	4.11	4.21	4.26	No Charges	No Charges	No Charges	No Charges
4.	Storage Charges 21st Day onwards	8.22	8.43	8.53	8.22	8.43	8.43	8.53

Notes:

(i) 20 free days shall be allowed. Free period shall commence from the day following the day of complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.

(ii) Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non-working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.

(iii) Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the Terminal operator.

(iv) The above storage schedule shall be valid from 21 January 2020 till 20 January 2021.

8.2. The VGCBPL is also directed to furnish the quarterly physical performance including the cargo-wise volume handled through VPT within 15 days at the end of each quarter and annual performance, both physical and financial, within 2 months from the end of the financial year to this Authority.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./66/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.20 19:16:44 +05'30'